न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 25/2021

धीरज पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा नाबालिग जरिये वली कुदरती माता लक्ष्मी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी हाल चाहरवाला तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)

- प्रार्थी

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. पुष्पा } पि0 भजनलाल जाति जाट
4. ममता } निवासीगण डाबडी तहसील भादरा
5. बबलू पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. बनिता पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी गढडा हाल आबाद सादपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बैरवाल- **प्रार्थी**

वकील श्री राममुर्ती ताखर - **अप्रार्थी सं0 1,3ता5**

वकील श्री बलवंत सिंह - **अप्रार्थी सं0 2**

वकील श्री नरेन्द्र शर्मा - **अप्रार्थी सं0 7**

दिनांक : 01.08.2023

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा डाबडी के खाता सं0 294/281 के खसरा सं0 417 की 45.9270है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 भजनलाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा भजनलाल के पिता ज्ञानीराम की खातेदारी हुआ करती थी जो ज्ञानीराम की मृत्यु के पश्चात ज्ञानीराम के पुत्रान् रणसिंह, महावीर, भूपसिंह व भजनलाल के नाम कर्ता खानदान होने के कारण नामान्तकरण सं0 307 दिनांक 06.05.1986 से दर्ज हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण हिन्दू है और हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ अपने जन्म से हक हिस्सा है। प्रार्थी की आयु करीब 6 वर्ष है और वह अपनी माता के संरक्षता में अपने ननीहाल में रह रहा है। वादग्रस्त आराजी के अलावा प्रार्थी व उसकी माता की आय का कोई स्त्रोत नहीं है।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 शराबी किस्म के व्यक्ति है और प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि से महरूम करने के उद्देश्य से वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय या मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे हैं अगर वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देते है तो प्रार्थी को नातिलाफी नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है कि अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 2 व 7 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 6 को तर्क अंकित किया। अप्रार्थी सं0 1, 3 ता 5 का

Scanned with CamScanner

जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 2 ने कथन किया कि दरख्वास्त की मद सं0 2 में सजरा नस्ब फरीके मुकदमा गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। दरख्वास्त की मद सं0 3 में ज्ञानीराम की खाता सं0 289/282 में खातेदारी कृषि भूमि होना स्वीकार है और ज्ञानीराम की आराजी उसके पुत्रान के हक में बहैसियत वारिसान प्राप्त होना स्वीकार है। रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 294/281 में अप्रार्थी सं0 2 का 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी धीरज कुमार अप्रार्थी सं0 2 का पोता है। दादा के जीवनकाल में पोते का कानूनन कोई हक दादा की जमीन में नहीं बनता। प्रार्थी ने दावा अपनी माता के मार्फत पेश किया है जिसके लिए बिना न्यायालय की आज्ञा के दावा पेश नहीं कर सकता। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी सं0 7 बनीता ने कथन किया कि वह सद्भावी क्रेता है उसने भजनलाल से उसकी खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 294/281 की कुल 45.970है0 में से भजनलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 1.265है0 जरीये बैयनामा दिनांक 07.10.2020 को एवं 0.265है0 दिनांक 19.02.2021 को क्रय कर कब्जा कर कर लिया है जिसकी वह खातेदार काश्तकार है। और अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का कथन किया है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा भजनलाल के पिता ज्ञानीराम की खातेदारी हुआ करती थी जो ज्ञानीराम की मृत्यु के पश्चात ज्ञानीराम के पुत्रान् रणसिंह, महावीर, भूपसिंह व भजनलाल के नाम कर्ता खानदान होने के कारण नामान्तकरण सं0 307 दिनांक 06.05.1986 से दर्ज हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण हिन्दू है और हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ अपने जन्म से हक हिस्सा है। प्रार्थी की आयु करीब 6 वर्ष है और वह अपनी माता के संरक्षता में अपने ननीहाल में रह रहा है। वादग्रस्त आराजी के अलावा वादी व उसकी माता की आय का कोई स्त्रोत नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 शराबी किस्म के व्यक्ति है और प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि से महरूम करने के उद्देश्य से वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय या मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे हैं अगर वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देते है तो प्रार्थी को नातिलाफी नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है कि अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने कथन किया कि ग्राम दरख्वास्त की मद सं0 2 में सजरा नस्ब फरीके मुकदमा गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। दरख्वास्त की मद सं0 3 में ज्ञानीराम की खाता सं0 289/282 में खातेदारी कृषि भूमि होना स्वीकार है और ज्ञानीराम की आराजी उसके पुत्रान के हक में बहैसियत वारिसान प्राप्त होना स्वीकार है। रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 294/281 में अप्रार्थी सं0 2 का 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी धीरज कुमार अप्रार्थी सं0 2 का पोता है। दादा के जीवनकाल में पोते का कानूनन कोई हक दादा की जमीन में नहीं बनता। प्रार्थी ने दावा अपनी माता के मार्फत पेश किया है जिसके लिए बिना न्यायालय की आज्ञा के दावा पेश नहीं कर सकता। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 प्रथम दृष्टया मामला :–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजार्थ के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 के मध्य वाद भूमि के दादालाई होने के संबंध में कोई विवाद नही है अप्रार्थी सं0 2 को वादभूमि को अपने पिता ज्ञानीराम से प्राप्त होना स्वीकार करता है। प्रार्थी सं0 2 का यह कथन है कि वादभूमि में दादा के जीवनकाल में पोते का कोई हक हिस्सा नही है। यह तथ्य अर्जीदावा में साक्ष्य आने के बाद तय होगा कि किस पक्षकार का वाद भूमि में कितना कितना हक व हिस्सा बनता है। चुंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने भजनलाल के वारिस के तौर

Scanned with CamScanner

पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। विवादित भूमि रोही डाबडी के खाता सं0 294/281 के खसरा सं0 417 की 45.9270है0 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए प्रार्थी का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। भजनालाल द्वारा पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 7 के पक्ष में बैयनामे किये जा चुके है। इसलिये न्यायहित में व वादो की बाहुलता रोकने हेतु व सम्पति के सुरक्षा के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित होना पाया जाता है।

2 सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। चूंकि वादभूमि पैतृक व दादालाई है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 को भी अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी आंशिक तौर पर प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है चूंकि दावाधिन सम्पति में अप्रार्थी भजनलाल का भी हक एवं हिस्सा है। ऐसे में अप्रार्थी भजनलाल अपने हक हिस्सा की भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में सुविधा का संतुलन प्रार्थी व अप्रार्थी भजनलाल दोनों के पक्ष में साबित होता है।

3 अपूर्णीय क्षति :– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। दौराने दावा अप्रार्थी सं0 2 कुल वादभूमि को रहन बैय व मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। यदि कुल वादभूमि पर व्यादेश दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 2 अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग संबंधि अधिकारों से वंचित रह सकता है। अप्रार्थी भजनलाल यदि सम्पूर्ण भूमि की बाबत रहन, बैय के लिए पाबन्द कर दिया जाता है तो भजनलाल अपने हक व हिस्से की वादभूमि के खातेदारी अधिकारो के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होना पाया गया।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित होने के कारण तथा द्वितीय व तृतीय बिन्दु सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही डाबडी के खाता सं0 294/281 के खसरा सं0 417 की 45.9270है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 2 भजनलाल को ताफैसला वाद पावन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादभूमि में विधि अनुसार अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि को रहन, बैय न करे अर्थात् अप्रार्थी भजनलाल वादभूमि में विधि अनुसार अपने हक व हिस्से की हद तक किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाकर रहन करवाने की हद तक स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी) R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner